

रिस्ट्रक्चरिंग हेतु प्रस्ताव सह स्वीकृति पत्र
(दो प्रतियों में जारी किया जाये)

प्रति

(उधारकर्ता का नाम एवं पता)

पत्र संख्या: _____

दिनांक: _____

प्रिय महोदय / महोदया,

सीसी / ओडी खाता सं° :.....

रु 10 लाख तक की सीसी / ओडी ऋण सीमा की रिस्ट्रक्चरिंग हेतु प्रस्ताव पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेश दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, आपकी ऋण सुविधा, फंडेड इंटररेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल) / वर्किंग कैपिटल टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल) / एडीशनल वर्किंग कैपिटल सुविधाओं की स्वीकृति के माध्यम से रिस्ट्रक्चरिंग हेतु पात्र है°

2. यह रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा आपके द्वारा इसका चयन करने एवं संलग्न आवेदन पत्र जमा करने पर आपको उपलब्ध होगी°
3. आप पूर्णतः हस्ताक्षरित स्वीकृति / आइट आउट पत्र नंबर पर व्हाट्स एप / ई मेल पते पर वापस कर सकते हैं

भवदीय

शाखा प्रबन्धक

.....

स्वीकृति पत्र

1° मैं / हम एफआईटीएल / डब्ल्यूसीटीएल / एडीशनल सीसी / ओडी ऋण सीमा प्रदान करने के द्वारा मेरे / हमारे सीसी / ओडी खाते की रिस्ट्रक्चरिंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ / करते हैं एवं इसकी व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ / करते हैं°

2. अभी मैं / हम कोविड - 19 की दूसरी लहर के कारण खाते को समुचित प्रकार से चलाने में समस्याओं का सामना कर रहा हूँ / कर रहे हैं°

3. मैं / हम उपरोक्त के संबंध में अपेक्षित अन्य सूचना प्रदान करूंगा / करेंगे° मैं / हम रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए अपेक्षित ऋण प्रलेख निष्पादित करूंगा / करेंगे तथा वर्तमान सुविधा हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियों (प्राइमरी / कोलेटरल) का विस्तार भी करूंगा / करेंगे°

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : कंपनी / फर्म का नाम

अथवा

मुझे / हमें इस सुविधा आवश्यक नहीं है एवं मैं / हम आइट आउट करने का आशय व्यक्त करता हूँ / करते हैं°

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : कंपनी / फर्म का नाम

रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क-2.0 के अंतर्गत

(रू.10.00 लाख तक की वर्तमान ऋण जोखिम के लिए)

ईकाई और मालिक / भागीदार / निदेशक का नाम और पता						
संगठन	√	स्वामित्व	साझेदारी	प्राइ वेट लिमि टेड	लिमिटेड कंपनी	अन्य
संपर्क क्र.	ई मेल:		लैंडलाइन :			
			मोबाइल:			
जीएसटी पंजीकरण क्र.						
उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र.						
पैन						

व्यवसाय गतिविधि का संक्षिप्त विवरण

खाता क्र.	सुविधा	सौमा	शेष

मैंने मेरी उपर्युक्त फर्म के लिए बैंक से निम्नलिखित ऋण सुविधाएं ली हैं.

कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण अभी मुझे खाता चलाने में दिक्कत हो रही है. हालांकि मेरी व्यवसाय गतिविधि का व्यवहार्य है और आगामी 12 माह में नकद के स्रोत निर्माण में सक्षम है.

ईकाई की वित्तीय स्थिति/अनुमानित	कुल बिक्री/अनुमानित बिक्री	शुद्ध लाभ/अनुमानित लाभ
2019-20		
2020-21		
2021-22 (पीछले माह तक)		

भारिबैं के दिनांक 05.05.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे सावधि ऋण की किश्तों की अदायगी अवधि 6/12/18/24 माह की अधिस्थगन अवधि के साथ 6/12/18/24 माह के लिए आगे बढ़ाकर संशोधित करने की व्यवस्था करें.

दिनांक:

स्थान: -----

ऋणियों के हस्ताक्षर